तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
06/07/18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०। प्रकरण में बहस प्रा० पत्र u/s 85 राज. वक्फ अधिनियम वकुलाय उभय पक्ष सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 09-07-2018 को पेश हो।
09/07/18	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में बहस प्रा० पत्र u/s 85 राज० वक्फ अधिनियम पर पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने अपने जवाब प्रा० पत्र u/s 85 एवं अपने द्वारा पूर्व में पेश लिखित बहस को ही बहस का आधार मानते हुए निर्णय पारित करने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर वकील प्रतिपक्ष ने अपने प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण को वक्फ प्राधिकरण को सुनवाई हेतु भेजने का निवेदन किया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं पेशशुदा प्रा० पत्र, जवाब प्रा० पत्र एवं लिखित बहस प्रा० पत्र u/s 85 राजस्थान वक्फ अधिनियम का अवलोकन किया गया। वकील प्रतिपक्ष ने अपने प्रा० पत्र u/s 85 राज० वक्फ अधिनियम में अभिकथित किया है कि प्रकरण में विवादग्रस्त आराजी कब्रिस्तान जाति मुसलमान ग्राम खरेला खुर्द खातेदार के नाम दर्ज है तथा उक्त भूमि राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड जयपुर की विज्ञप्ति सं० डब्ल्यू-बी. रिकार्ड/65 दिनांक 23-09-1965 की सूची क्रमांक 63 पर वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति दर्ज है। वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों से संबंधित विवादों के निपटारे हेतु राजस्थान वक्फ

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

अधिनियम के तहत प्राधिकरण / ट्रिब्यूनल बना हुआ है।

राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादग्रस्त आराजी ख० नं० 1364 तन ग्राम खण्डेला हाल पापरा ~~प्रथम~~ पुराने ख० नं० 943 से बना है तथा प्रथम मिसल सम्वत् 2008 के समय से उक्त विवादग्रस्त आराजी माफी कब्रिस्तान कौम मुसलमान सा. खण्डेला के नाम दर्ज है। चूंकि प्रथम दृष्टया न्यायालय को यह अवधारित करना है कि विवादग्रस्त आराजी पर न्यायालय को श्रवणाधिकार है या नहीं? चूंकि विवादग्रस्त आराजी कब्रिस्तान के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड होकर राजस्थान वक्फ मुस्लिम बोर्ड में वक्फ सम्पत्ति के रूप में अधिसूचित है और वक्फ सम्पत्तियों से संबंधित विवादों के निपटारे हेतु राजस्थान वक्फ अधिनियम के तहत प्राधिकरण का गठन किया गया है। अतः वक्फ सम्पत्ति से संबंधित विवाद को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होना पाया जाने पर वाद वादी इसी प्रक्रम पर खारिज किया जाकर वादी को निर्देशित किया जाता है कि वे सक्षम न्यायालय / प्राधिकरण में अपने हक-अधिकारों बाबत चाराजोई करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/3/18

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)